संख्या– 800 जेड/6–सा–1–2012–55जी/90

प्रेषक,

चन्द्रभानु,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

गृह (सामान्य) अनुभाग–1

लखनऊः दिनांकः 14 सितम्बर, 2012

विषयः–आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा देश में आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किये जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया है :–

1) देश में आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को रु0 3000/– (रु0 तीन हजार मात्र) मासिक सम्मान राशि दी जायेगी। यह राशि दिनांक–01.04.2012 से देय होगी।

2) आदेश निर्गत होने की तिथि से उपरोक्त राजनैतिक बन्दियों को उनके एक सहयोगी सहित उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी।

3) आदेश निर्गत होने की तिथि से उपरोक्त राजनैतिक बन्दियों/लोकतन्त्र सेनानियों को राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य होगी।

2– **"लोकतंत्र सेनानी"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासी व्यक्ति से है, जिसने देश में दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिये राजनैतिक रूप से सक्रिय रहते हुए संघर्ष किया और जो इन कार्यक्रमों में भाग लेने के फलस्वरूप मीसा एवं डी0आई0आर0 में कारागार में राजनैतिक रूप से निरूद्ध रहे हों।

3– ऐसे व्यक्तियों को उक्त सुविधायें अनुमन्य **नहीं** होंगी, जो राजनैतिक कारणों के अलावा अन्य किसी कारण से कारागार में निरूद्ध रहे हों अथवा ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानी को देय सम्मान राशि व अन्य सुविधायें प्राप्त करने हेतु अपनी पात्रता स्थापित करने के हित में या किसी और व्यक्ति की पात्रता स्थापित करने के हित में कोई असत्य विवरण या सूचना प्रस्तुत की हो या प्रमाण पत्र दिया हो।

4– इन नियमों के अधीन सम्मान राशि नियमावली के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा पूर्व की भांति परिचय पत्र निर्गत कर स्वीकृत की जायेगी। जिन लोकतंत्र सेनानियों को पूर्व में परिचय पत्र निर्गत किये गये हैं, तथा यदि वे इस नियमावली में निर्धारित शर्तें पूर्ण करतें हों तो उन्हें उन्हीं परिचय पत्र

Viktants senani Facility

को आधार मानकर सम्मान राशि स्वीकृत की जायेगी, बशर्ते कि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य न हों। सम्मान राशि का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक सत्यापन के पश्चात् सीधा ही कर दिया जायेगा।

5— लोकतन्त्र सेनानियों को परिचय पत्र सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेगें।

6— लोकतन्त्र सेनानी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो एवं आपात काल के दौरान देश के किसी भी जेल में मीसा/डी0आई0आर0 में निरूद्ध रहा हो, वहॉ का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से की जायेगी।

7— यदि किसी ऐसे पात्र लोकतन्त्र सेनानी की मृत्यु दिनांक–01.04.2012 के पश्चात् योजना लागू रहने की अवधि के दौरान हो जाये तो उसके उत्तराधिकारी को उतनी अवधि की सम्मान राशि दी जायेगी, जितने दिन लोकतन्त्र सेनानी दिनांक–01.04.2012 के बाद जीवित रहा।

8— लोकतन्त्र सेनानी को सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत परिचय पत्र के आधार पर एक सहचर सहित उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधा दी जायेगी। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राजनैतिक पेंशन विभाग द्वारा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को नियमानुसार की जायेगी। इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेगें।

9— लोकतंत्र सेनानियों से यात्रीकर, अतिरिक्त यात्रीकर तथा बीमा अधिभार वसूल नही किया जायेगा परन्तु इसकी प्रतिपूर्ति राजनैतिक पेंशन विभाग द्वारा उसी प्रकिया के अनुसार की जायेगी, जिस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति की जाती है।

10— लोकतन्त्र सेनानियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी एवं इसके लिये चिकित्सा विभाग द्वारा आदेश निर्गत किये जायेंगे।

11— सम्मान राशि पाने वाले व्यक्ति को एकल बचत खाता जनपद के किसी बैंक की उस शाखा में जहॉ वह रहता है, में खोलना होगा तथा इसकी सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।

12— सम्बन्धित जिलाधिकारी सम्मान राशि के आहरण हेतु अनुदान की राशि का बिल सम्बन्धित कोषागार में प्रस्तुत करेंगे। बिल के साथ सम्मान राशि पाने वाले व्यक्ति का नाम, बचत बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और धनराशि बैंकवार विवरण संलग्न किया जायेगा। इस विवरण के अनुसार ही कोषागार द्वारा बैंकों की मुख्य शाखावार ट्रेजरी चैक जारी किये जायेंगें तथा जिलाधिकारी इन चैकों के साथ बैंक शाखावार खाता धारकों के नाम, पता खाता संख्या तथा बैंक शाखा के नाम की सूची संलग्न कर जिले की सम्बन्धित बैंक की मुख्य शाखा में जमा करेंगे। तत्पश्चात् बैंक द्वारा उक्त विवरण के अनुसार सम्मान राशि पाने वाले खाता धारकों के खाते में धनराशि क्रेडिट की जायेगी। किसी भी दशा में अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा।

13— सम्मान राशि एवं अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सुरक्षित रखे जायेंगे तथा नियमानुसार उनका लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

14— स्वीकृत सम्मान राशि तथा अन्य सुविधायें निम्नलिखित आधार पर अथवा किसी अन्य कारण से किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा बिना नोटिस दिये निरस्त की जा सकती है:—

I. अनैतिक अपराध तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण।
II. किसी भी जुर्म (राजनैतिक सजाओं को छोड़कर) पर दण्डित होने के कारण।

III. नियमावली के नियम–3(1)(2) में उल्लिखित अपात्रता जिसके बावजूद गलत ढंग से सम्मान राशि प्राप्त कर ली गयी हो ।

IV. सम्मान राशि स्वीकृति के लिये नियमावली के साथ संलग्न आवेदन–पत्र में दिये गये प्रपत्र में सम्बन्धित जिलाधिकारी को दिये जायेंगे।

V. आवेदक द्वारा कारागार में निरूद्ध रहने के समर्थन में निर्धारित आवेदन–पत्र के साथ सम्बन्धित जेल अधीक्षक या जिलाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

VI. किसी भी प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार शासन द्वारा जांच करायी जा सकती है।

VII. यदि कोई व्यक्ति, ऐसे विवरण या प्रमाण–पत्र के आधार पर जिसे गलत पाया जाय, सम्मान राशि प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर स्वीकृत सम्मान राशि किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा नोटिस दिये निरस्त की जा सकेगी तथा प्राप्त की गयी राशि भू–राजस्व के बकाये के रूप में उससे वसूल की जायेगी।

15– सम्बन्धित जिलाधिकारी सम्मान राशि स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है इसलिए यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए जिलाधिकारी ही उत्तरदायी होंगे।

16– लोकतंत्र सेनानियों को उपरोक्तानुसार सुविधायें दिये जाने सम्बन्धी नियमावली संलग्न है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,
14/9/12
(चन्द्रभानु)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ।
6. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–12
8. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1
9. परिवहन अनुभाग–2/4
10. चिकित्सा अनुभाग–1/6
11. गोपन अनुभाग–1
12. गृह (सामान्य) अनुभाग–1/2

आज्ञा से,
(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।